

भारत का राजपत्र, असाधारण
भाग III-खंड 4
प्राधिकार से प्रकाशित
नई दिल्ली, तारीख 26 मार्च, 2018
भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड
अधिसूचना
नई दिल्ली, तारीख 26 मार्च, 2018

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018

आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.026 - भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 194 की उपधारा (2) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2017 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) (संशोधन) विनियम, 2018 है ।
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
- भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2016 में विनियम 14 का लोप किया जाएगा ।

(डा. एम. एस. साहू)

अध्यक्ष

[विज्ञापन.....]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (कर्मचारी सेवा) विनियम, 2017, भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2017-18/जी.एन./आर.ई.जी.15, तारीख 24 अगस्त, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अब तक संशोधन नहीं किया गया है ।

**GAZETTE OF INDIA
EXTRAORDINARY
PART III, SECTION 4
PUBLISHED BY AUTHORITY
NEW DELHI, 26TH MARCH, 2018**

**INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA
NOTIFICATION
New Delhi, 26th March, 2018**

**INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA (EMPLOYEES' SERVICE)
(AMENDMENT) REGULATIONS, 2018**

IBBI/2017-18/GN/REG026 . - In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 194 read with section 240 the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016) the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) Regulations, 2017, namely: -

1. (1) These regulations may be called Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) (Amendment) Regulations, 2018.

(2) They shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.
2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) Regulations, 2017, regulation 14 shall be omitted.

(Dr. M. S. Sahoo)
Chairperson
[ADVT . - _____]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Employees' Service) Regulations, 2017 were published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* notification No. IBBI/2017-18/GN/REG15 dated 24th August, 2017 and these have not been amended so far.